प्रेषक,

सहायक निदेशक (सेवायोजन)
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय,
अयोध्या मण्डल अयोध्या ।

सेवा में

कुलसचिव,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

कुलसचिव कार्यालय
पत्रावली / डाक
क्रमांक 336/
दिनांक 22/03/24
समय
निकासी
क्रमांक 1174
दिनांक 28/3/24
समय
हस्ताक्षर

पत्रॉक : 339 / क्षे0से0का0 / / 2024 दिनॉक 22–3–2024

विषय रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को उपलब्ध सेवाओ के संबध में ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि रोजगार आयोग के निर्देशो के क्रम में एवं वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के फलस्वरूप युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उदेश्यों के दृष्टिगत श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in का विकास कराया गया है। बेरोजगारों के हितार्थ एकीकृत पोर्टल पर कैम्पस प्लेसमेन्ट, डायरेक्ट हायरिंग, विदेशों में रोजगार, आनलाइन काउसिंलिग एवं लर्निग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था विकसित है। इस हेतु प्रकिया सम्बन्धी कार्यवाही निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

अतः कृपया रोजगार आयोग के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों को पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे छात्र / छात्राओं का पंजीकरण हो जाने से प्लेसमेन्ट में आसानी होगी।

भवदीय

सहायक निदेशक(सेवायोजन)
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

कुलसचिव कार्यालय
प्राप्ति दिनांक ....
हस्ताक्षर
अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

E.D.P

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 155/ई–2/रोजगार संगम/पोर्टल/2021 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः **रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारों को उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि रोजगार आयोग के निर्देशों के क्रम में एवं वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के फलस्वरूप युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्यों के दृष्टिगत श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in का विकास कराया गया है। बेरोजगारों के हितार्थ एकीकृत पोर्टल पर कैम्पस प्लेसमेन्ट, डायरेक्ट हायरिंग, विदेशों में रोजगार, ऑनलाइन कॉउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था विकसित है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है–

1. जनपद के समस्त सरकारी/निजी संस्थानों यथा आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग/मैनेजमेन्ट इनस्टीट्यूट, फार्मा इनस्टीट्यूट, स्नातक/ स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा एकीकृत पोर्टल पर संस्थानों का पंजीकरण कराने की कार्यवाही की जानी है।
2. संस्थानों के पंजीकरण के साथ ही उनकी प्लेसमेन्ट सेल द्वारा संस्थान में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के छात्रों का पंजीकरण भी कराया जाना है। छात्रों द्वारा स्वयं ही अपना पंजीकरण एकीकृत पोर्टल पर किया जाना है। छात्रों के पंजीकरण के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा उन छात्रों के विवरण (सी0वी0 सहित)की पुष्टि के पश्चात् उनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होगी।
3. संस्थान के प्लेसमेन्ट अधिकारी एवं सेवायोजन कार्यालय के समन्वय से कैम्पस प्लेसमेन्ट कराने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार पोर्टल के माध्यम से नियोजकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कैम्पस इन्टरव्यू करने की व्यवस्था विकसित है।
4. वर्तमान में सी0एन0वी0 एक्ट–1959 के अंतर्गत सेवायोजन कार्यालयों में नियोजक पंजीका में अभिज्ञानित 25 से अधिक कार्यरत कार्मिकों वाले निजी क्षेत्र के संस्थानो का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना है। पंजीकरण से पूर्व इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। जनपद के जो नियोजक सेवायोजन कार्यालय की नियोजक पंजीका में अभिज्ञानित नहीं हैं उनके द्वारा अधिनियम के अनुपालन के दृष्टिगत सेवायोजन कार्यालय में पजीकरण की कार्यवाही की जानी है।इसके अतिरिक्त जनपद के बड़े एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के पंजीकरण की कार्यवाही भी की जानी है।

5- एकीकृत पोर्टल पर अभ्यर्थियों के कॅरियर मार्गदर्शन हेतु ऑनलाइन कॉउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था विकसित है। पोर्टल पर पंजीकृत कॅरियर सम्बन्धी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के माध्यम से अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही '**विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे**' की व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपनी रूचि के कॅरियर व कंपनियों में भर्ती प्रकिया के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन व सलाह ली जा सकती

है।अतः इस हेतु विभिन्न कॅरियर विषय विशेषज्ञों का पोर्टल पर पंजीकरण की कार्यवाही की जानी है।

6. एकीकृत पोर्टल पर विकसित लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों द्वारा भी अपनी रूचि/जिज्ञासा के अनुरूप पोर्टल पर उपलब्ध कॅरियर मार्गदर्शन संबंधी विडियोज के माध्यम से कॅरियर विषय का चयन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः कृपया रोजगार आयोग के निर्देशों के कम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

15/3/21

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक

पत्रांकः /ई–2/रोजगार संगम/पोर्टल/2021 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निदेशक, क्षेत्रीय रोजगार विकास कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय, उत्तर प्रदेश ।

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक